

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1968]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 1968]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

का.आ. 2506(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उप धारा (3) खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस. वरदराजन, सीएमडी, बीपीसीएल को दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य पुनः नियुक्त करती है।

[फा.सं. जी-35012/2/91-वित्त. II(II)]

आलोक चन्द्रा, सलाहकार (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2015

S.O. 2506(E).—In exercise of the Powers conferred by Clause (c) Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby re-appoints Shri S. Varadarajan, CMD, BPCL as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01-10-2015 till 30-09-2016 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No.G-35012/2/91-Fin.II(II)]

ALOK CHANDRA, Adviser (Finance)